न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 85/2021

जीसीएमएस नम्बर : 2021/207

प्रार्थी:–
विजयकांत शर्मा पुत्र दुर्जनलाल शर्मा, जाति ब्राहम्ण निवासी हेमलियावास खुर्द मारवाड़ जंक्शन हाल भायन्द मुम्बई (महाराष्ट्र)

बनाम

अप्रार्थीगण :–
1. रामसिंह पुत्र मगसिंह जाति पुरोहित निवासी रिसानिया, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली
2. ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द तहसील मारवाड़ जंक्शन, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मोहम्मद शरीफ काजी।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित।

–: निर्णय :–

दिनांक : 20/01/2026

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 21/21.03.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के सम्बन्ध में पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में ठिकाना हेमलियावास द्वारा दिनांक 23.01.1947 को मिश्रीलाल पुत्र त्रिलोकजी के पक्ष में पट्टा जारी किया गया था, जिसके दोनों तरफ रास्ते है व मौके पर मिश्रीलाल काबिज थे। मोहनलाल व जीवराज पुत्र बस्तीमल ने उक्त पट्ट जरिये पंजीबद्ध बेचाण दिनांक 23.09.1966 के द्वारा मिश्रीलाल से खरीद किया और इस हस्तान्तरण में उत्तर दिशा में दर्जी का मकान, पूर्व व पश्चिम दिशा में रास्ता तथा दक्षिण दिशा में पड़त खालसा है जो कि वर्तमान में ढगलाराम गवारिया का मकान है तथा मोहनलाल व जीवराज द्वारा उक्त परिसर की भूमि प्रार्थी के पिता दुर्जनलाल को दिनांक 15.06.1974 को जरिये पंजीबद्ध बेचाण द्वारा हस्तान्तरण कर दी, उसमें भी वही पड़ौस दर्शायें हुये है। चुंकि उपरोक्त आराजी वर्ष 1947 से मिश्रीलाल तत्पश्चात् मोहनलाल व वर्तमान में दुर्जनलाल के पट्टाशुदा भूमि है तो ऐसी स्थिति में ग्राम

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर पाली

पंचायत को इसी भूमि का पुनः पट्टा देने का कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थी के पिता बोम्बे चले गये थे और उक्त भूमि की देखरेख आनंदीलाल को सुपूर्द कर दी, जिसे आनंदीलाल ने रामसिंह को पशुधन बाधने के लिये दिया था। जब रामसिंह से पुनः भूमि मांगी गई तो उन्होनें मना किया तब दुर्जनलाल ने रामसिंह के विरूद्ध सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में वाद संख्या 174/1992 पेश की, जो प्रार्थी के पिता के पक्ष में डिक्री हुई। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 28.09.2021 को न्यायालय में फर्जी पट्टा पेश किया तब प्रार्थी को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। उक्त पट्टे पर मिसल संख्या, दिनांक अंकित नहीं है और उक्त पट्टे का रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टेशुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी न होकर उत्तरप्रदेश का निवासी है। प्रार्थी जैर निगरानी पट्टे में पीड़ित पक्षकार कैसे है यह स्पष्ट नहीं है। जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1971 का है और प्रार्थी ने उक्त निगरानी याचिका लगभग 40 वर्ष बाद प्रस्तुत की है एवं उक्त देरीना का भी कोई ठोस कारण अंकित नहीं किया है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पड़ौस, प्रार्थी द्वारा बताये गये पट्टे के पड़ौस से मेल नहीं खाते है। ग्राम पंचायत में केवल मात्र पट्टे का रेकर्ड नहीं होने से उक्त पट्टा फर्जी साबित नहीं होता। अप्रार्थी ने विधिनुसार ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया और ग्राम पंचायत ने पंचायती राज नियमों की पालना करते हुये विधिनुसार जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रार्थी ने बिना विधिक आधारों के जैर निगरानी याचिका पेश की है, जिसे खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 21/21.03.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में जारी पट्टे के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता अप्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि प्रार्थी ने लगभग 40 वर्ष की देरीना जैर निगरानी याचिका पेश की है, जो कि म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है। अधिवक्ता प्रार्थी ने विपक्षी अधिवक्ता के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि सिविल न्यायालय मारवाड़ जंक्शन में अप्रार्थी द्वारा दिनांक 28.09.2021 को उक्त पट्टे की प्रति पेश करने पर प्रार्थी को प्रथम बार जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई और अन्दर म्याद उक्त निगरानी याचिका पेश की तथा जब ग्राम पंचायत द्वारा पंचायतीराज नियमों की अवहेलना करते हुये विधिविरूद्ध तरीके से पट्टा जारी किया गया हो, तो वहां पर समयसीमा बाध्यकारी नहीं होती है। उक्त तथ्य के सम्बन्ध में जैर निगरानी पट्टे की प्रति का अवलोकन करने पर पाते है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रश्नगत पट्टा वर्ष 1971 में जारी किया गया था और अधिवक्ता द्वारा हस्तगत निगरानी याचिका लगभग 50 वर्षों के बाद पेश की गई अर्थात् उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात् लगभग 50 वर्षों तक प्रभावशील रहा तथा इस अवधि में किसी भी सक्षम प्राधिकारी के समक्ष इसे चुनौती नहीं दी गई। इतने लम्बे समय में पट्टाधारी के पक्ष में भूमि पर स्थायी एवं

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर. पाली

स्थापित अधिकार विकसित हो चुके हैं। प्रकरण में प्रार्थीगण का यह दावा कि उन्हें पट्टे की जानकारी पहली बार दिनांक 28.09.2021 को हुई, यह दावा किसी ठोस दस्तावेज या पूर्व रिकॉर्ड से समर्थित नहीं है कि इससे पूर्व पट्टे की जानकारी प्राप्त होना असम्भव था। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 2014 (2) RLW 1520 (Raj.) Bhanwar Lal vs state of Rajasthan के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा जारी पट्टे को वर्षों बाद चुनौती देना स्वीकार्य नहीं है, निगरानी शक्तियाँ अनन्त काल तक प्रयोग नहीं की जा सकतीं। इसके अतिरिक्त न्यायिक दृष्टान्त 2008(2) DNJ (Raj.) 735 Abdul Latif & Anr. vs State & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–राजस्थान पंचायत (सामान्य) नियम, 1961–नियम 270–राजस्थान पंचायत नियम, 1996–नियम 166–पुनरीक्षण–का विस्तार– प्रार्थी ने कलेक्टर के समक्ष यह अभिकथित करते हुए पुनरीक्षण दायर किया कि ग्राम पंचायत ने विधि के प्रावधानों के विपरीत पट्टे जारी किये–पुनरीक्षण 21 वर्षों की देरी से दायर किया गया–प्रार्थी को अपील का त्वरित उपचार उपलब्ध था लेकिन उसने पुनरीक्षण याचिका को पोषणीय करने में हितबद्ध व्यक्ति है–पट्टे वर्ष 1981 में जारी किये गये तथा प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका वर्ष 2002 में दायर की वह भी देरी का समुचित कारण बताये बिना–अप्रार्थी संख्या 6 ने वर्ष 1998 में विवादित भूमि पर निर्माण कराना शुरू किया तथा इस बारे में अन्य लोगों ने दीवानी वाद भी दायर किया–निर्णित, जिला कलेक्टर ने प्रार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज करके सही किया। इसी प्रकार अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2002(1)RRT 434 Chiranji lal & Add. Collcetor III, Jaipur & Ors. के अनुसार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–परिसीमा अधिनियम, 1963, अनुच्छेद 137–धारा 97 के अधीन पुनरीक्षण शक्तियों का उपयोग–राज्य सरकार को असीमित शक्त्यां है–अनुच्छेद 137 के उपबन्ध लागू नहीं होते है–39 वर्ष पश्चात् पट्टा निरस्त करना मनमानी है एवं अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है–प्रार्थी के भूमि पर अधिकार सृजित हुए–अभिनिर्णीत, अपर कलेक्टर ने पट्टा निरस्त करने में अवैधता की है–आदेश अपास्त किया। हालांकि पंचायत निगरानी में समयसीमा का उल्लेख नहीं है परन्तु जहां पर कोई समय सीमा बाध्यकारी नहीं हो तो वहां पर उचित समय का सिद्धान्त कार्य करता है और हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने लगभग 50 वर्षों के बाद जैर निगरानी पट्टे को चुनौती दी है एवं लगभग 50 वर्षों के पश्चात् प्रस्तुत की गई निगरानी याचिका न केवल अत्यधिक विलम्ब से दायर है बल्कि राजस्थान पंचायती राज़ अधिनियम के अन्तर्गत स्थापित उचित समय के सिद्धान्त का उल्लंघन है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य मुख्य उज्र यह था कि जैर आराजी के सम्बन्ध में सिविल कोर्ट द्वारा डिक्री जारी हो चुकी है इसलिये जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी ने कथन किया सिविल न्यायालय द्वारा जैर आराजी के सम्बन्ध में स्थगन आदेश पारित हो रखा है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार सिविल न्यायालय, पाली के प्रकरण संख्या 10/2025 अनवान मोहम्मद इकबाल बनाम नारायणलाल वगैरा में पारित आदेश दिनांक 15.10.2025 के अनुसार "....इस न्यायालय द्वारा पारित यथास्थिति आदेश दिनांकित 19.02.2025 केवल प्रकरण के पक्षकारान को मौके व रिकोर्ड की

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबन्द करता है एवं किसी सक्षम न्यायालय/सक्षम विभाग/सक्षम प्राधिकारी द्वारा की जा रही विधिक कार्यवाही को किसी प्रकार से बाधित नहीं करता है।" इसके अतिरिक्त जैर निगरानी आराजी के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश, मारवाड़ जंक्शन द्वारा प्रकरण संख्या 174/1992 दुर्जनलाल बनाम रामसिंह में पारित आदेश दिनांक 01.03.2008 के द्वारा प्रार्थी के पक्ष में डिक्री जारी की गई है, जिसे माननीय अपर जिला न्यायाधीश, पाली में चुनौती दी गई, जिसके प्रकरण संख्या 58/2015 रामसिंह बनाम मृत दुर्जनलाल के कायम मुकाम मायादेवी व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 18.09.2024 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 01.03.2008 को यथावत रखा है। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी ने, जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को, चुनौती दी है। इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 1 WLC 472 uma soni vs Rajasthan State में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि It has been held that the patta issued by Gram Panchayat in contravention to the Rules of 1996 can be quashed in exercise of powers under Section 97 of the Act of 1994 तथा राजस्थान पंचायती राज नियम की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत के किसी आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य की जांच करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार न्यायालय हाजा को है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत ग्राम पंचायत की कार्रावाई को संशोधित, निरस्त, उल्टा या स्थगित या पुर्नविचार किए जाने की शक्तियां न्यायालय हाजा को प्रदत्त है। इस मामले में ग्राम पंचायत एक ही दिन में प्रश्नगत पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नहीं है। चूंकि धारा 97 में पंचायत की आज्ञा/कार्रवाई के सम्बन्ध में परीक्षण एवं अन्य उचित आदेश जारी किए जाने हेतु सक्षम प्राधिकारिता न्यायालय हाजा को ही प्रदत्त है तथा पट्टा, ग्राम पंचायत द्वारा पारित आज्ञा की अनुवर्ती कार्रवाई के तहत जारी किया जाता है। इस कारण ग्राम पंचायत द्वारा जारी आज्ञा एवं उक्त आज्ञा की पालना में जारी पट्टे की वैधता को जांचने का क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा में निहित है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस मुख्य उज्र यह था कि जैर निगरानी आराजी का पूर्व में ठिकाने द्वारा पट्टा जारी हो चुका है और ग्राम पंचायत ने पूर्व में जारी पट्टासुदा भूमि पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि ग्राम पंचायत ने आबादी क्षेत्र में नजूल सम्पति का जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो कि विधिनुसार है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों अनुसार ठिकाना हेमलियावास द्वारा दिनांक 23.01.1947 को मिश्रीलाल पुत्र त्रिलोकजी के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है, जिसके पड़ौस उत्तर दिशा में हाजा की जमीन, दक्षिण दिशा में ठीकाना हाजा ही है, पूर्व दिशा में गली एवं पश्चिम दिशा में आम बाजार है। उक्त आराजी को मोहनलाल, जीवराज पुत्र बस्तीमल ने जरिये पंजीबद्ध बेचाण दिनांक 23.09.1966 के द्वारा मिश्रीलाल से खरीद किया जिसमें जैर आराजी के पड़ौस उत्तर दिशा में दर्जी झुठे वाले का थाला, पूर्व दिशा में आम रास्ता, पश्चिम दिशा में गली तथा दक्षिण दिशा में पड़त खालसा अंकित है तथा खरीदकर्त्ता मोहनलाल, जीवराज ने जरिये पंजीबद्ध बेचाण दिनांक 15.06.1974 के द्वारा जैर आराजी प्रार्थी के पिता दुर्जनलाल को

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलेक्टर, पाली

बेचाण कर दी, जिसमें अंकित पड़ौस पंजीबद्ध बेचाण दिनांक 23.09.1966 के अनुसार है। जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में मकान, पूर्व एवं पश्चिम दिशा में रास्ता तथा दक्षिण दिशा में गवरीया का थाला अंकित है और अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ठिकाना के पट्टे की दक्षिण दिशा में पहले खालसा भूमि थी, जो वर्तमान में ढगलाराम गवारिया का मकान है। उपरोक्त दोनों पट्टों में वर्णित पड़ौस का अवलोकन करने पर पाते है कि दोनों पट्टों की उत्तर एवं दक्षिण दिशा में वर्णित पड़ौस में भिन्नता है। साथ ही दक्षिण दिशा में खालसा भूमि के स्थान पर ढगलाराम गवारिया के मकान होने का अधिवक्ता प्रार्थी ने केवल कथन किया है, इसकी ताईद में कोई दस्तावेज अथवा साक्ष्य पेश नहीं किया। न्यायिक प्रक्रिया में केवल कथन करना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उसे प्रमाणित करना आवश्यक होता है। यदि प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये जाते तो कथन केवल आरोप या दावे के समान होते हैं जिनका कोई ठोस समर्थन नहीं होता इसलिये न्यायालय ऐसे कथनों को स्वीकार नहीं करता। सम्बन्धित अधिवक्ता का यह दायित्व होता है कि वह अपने कथनों को प्रमाणित करे, बिना उचित सबूत के केवल कथन करना स्वीकार्य नहीं। इसके अतिरिक्त दोनों दस्तावेजों में वर्णित सीमाएं भौतिक रूप से समान भूमि की पुष्टि नहीं करती। दोनों पट्टों का क्षेत्रफल भी समान नहीं है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोनों पट्टे एक ही आराजी से सम्बन्धित नहीं है। उपर्युक्त समस्त तथ्यों तथा प्रस्तुत पट्टों के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर नहीं होता कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि का पूर्व में कोई जारी हो रखा हो। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह था कि जैर निगरानी पट्टे का ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है, अतः ग्राम पंचायत ने पंचायत नियमों के अनुसार प्रश्नगत पट्टा जारी नहीं किया है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के कथनों का खण्डन करते हुये निवदेन किया कि रिकार्ड के संधारण का कार्य अप्रार्थी द्वारा नहीं किया जाकर ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है इसलिये यदि वर्तमान में ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं है तो इसमें पट्टाधारक की कोई गलती है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रश्नगत पट्टे की प्रति का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी पट्टा वर्ष 1971 में जारी किया गया था, जिस पर तत्कालीन सपरंच, गवाहों तथा पट्टा प्राप्तकर्त्ता के हस्ताक्षर अंकित है तथा पट्टे पर प्रस्ताव संख्या एवं जारी दिनांक का स्पष्ट उल्लेख है। इसके अतिरिक्त उक्त पट्टे की पुश्त पर भूमि का क्षेत्रफल एवं चारों दिशाओं के पड़ौस भी अंकित है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पट्टा एक औपचारिक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था तथा पट्टे में वर्णित पड़ौस यह दर्शाता है कि भूमि की पहचान पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई थी तथा पट्टा किसी अनिश्चित या काल्पनिक भूमि पर जारी नहीं किया गया, जिससे प्रथमदृष्टया पट्टे की प्रमाणिकता सिद्ध होती है। प्रकरण में यह तथ्य स्थापित है कि ग्राम पंचायत के अभिलेखों का संधारण, संरक्षण एवं अद्यतन रखना ग्राम पंचायत का वैधानिक दायित्व है, न कि पट्टाधारक का। पट्टाधारक का यह दायित्व नहीं है कि वह पंचायत के रिकॉर्ड को सुरक्षित रखे। यदि वर्तमान समय में ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड में प्रश्नगत पट्टे से सम्बन्धित प्रविष्टि उपलब्ध नहीं है, तो मात्र इसी आधार पर पट्टे को अवैध या नियमविरूद्ध नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि यह सिद्ध न

अति. जिला कलेक्टर, पाली

कर दिया जाए कि पट्टा प्रारम्भ से ही अवैध, कूटरचित या नियमों के उल्लंघन में जारी किया गया था। प्रार्थी पक्ष द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज, साक्ष्य अथवा अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह प्रमाणित हो कि वर्ष 1971 में पट्टा पंचायत नियमों के विपरीत जारी किया गया था या पंचायत प्रस्ताव के बिना जारी हुआ था। यह भी महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रश्नगत पट्टा लगभग 50 वर्ष पूर्व जारी किया गया था तथा इतने लम्बे अन्तराल के पश्चात् रिकॉर्ड के अभाव को आधार बनाकर पट्टे को निरस्त करना न्यायिक दृष्टि से अनुचित एवं असंगत प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त AIR 1991 SC 2219 State of Punjab vs. Gurdev Singh के अनुसार "An administrative lapse or illegality committed by the authority cannot be a ground to penalise a citizen who has acted bona fide." उपरोक्त समस्त तथ्यों के विस्तृत परीक्षण से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि प्रश्नगत पट्टा विधिपूर्वक पंचायत प्रस्ताव के आधार पर जारी किया गया था। वर्तमान में ग्राम पंचायत में अभिलेखों में उक्त पट्टे का रिकॉर्ड उपलब्ध न होना मात्र एक प्रशासनिक कमी हो सकती है, जिसका दायित्व पट्टाधाकर पर नहीं डाला जा सकता। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा विधिसम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत हेमलियावास खुर्द द्वारा प्रस्ताव संख्या 21/21.03.1971 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी रामसिंह के पक्ष में जारी पट्टे को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 20/01/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर पाली